न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/129 दायरा दिनांक : 30.07.2024

उनवान

1. प्रभुलाल आयु 54 वर्ष पुत्र श्री देवीलाल, जाति माली
2. दमोदर आयु 28 वर्ष पुत्र श्री प्रेम, जाति माली
3. राजेश आयु 38 वर्ष पुत्र श्री प्रेम, जाति माली
4. कलाबाई आयु 50 वर्ष पत्नि स्व० श्री प्रेम, जाति माली
5. निर्मला आयु 30 वर्ष पुत्री श्री प्रेम, जाति माली
6. रामप्यारी आयु 40 वर्ष पुत्री श्री प्रेम, जाति माली
   निवासीगण चांचोडी दरवाजा छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. बंजरगा उर्फ बजरगंलाल आयु 62 वर्ष पुत्र श्री देवीलाल, जाति माली, निवासी चांचोडी दरवाजा छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
2. राज० सरकार जरिये तहसीलदार, छबडा, जिला बांरा (राज०)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री धर्मेन्द्र चौधरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री कमलदीप सिंह हाडा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.07.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 112/2023 निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 10.06.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के संयुक्त खाते की आराजी करबा छबडा में खसरा नम्बर 1372 की रकबा 2.1372 हेक्टर, खसरा नम्बर 827/2 की रकबा 0.5311 हेक्टर, खसरा नम्बर 828/1 की रकबा 0.8094 हेक्टर, खसरा नम्बर 904 की रकबा 0.1518 हेक्टर, खसरा नम्बर 908 की रकबा 0.1265 हेक्टर, खसरा नम्बर 910 रकबा 0.1897 हेक्टर कुल किता 6 की कुल रकबा 3.9457 हेक्टर करबा छबडा में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 10.06.2024 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि रेस्पो०/वादी क्रम 1 द्वारा अपीलान्ट /प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 व रेस्पो० क्रम 2 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत किया था। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22.05.2024 पारित करते हुये आदेश दिया है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम छबडा, तहसील छबडा के कुल किता 6 कुल रकबा 3.9457 हेक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि रास्ता कायम करते हुये पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है। उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22.05.2024 की पालना में दिनांक 10.06.2024 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना अपीलान्ट को सुने अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 10.06.2024 पारित करते हुये आदेश दिया है कि प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी ग्राम छबडा का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है। खातेदार बंजरगा उर्फ बजरगंलाल आयु 61 वर्ष पुत्र श्री देवीलाल, जाति माली, निवासी चांचोडी दरवाजा छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज० को खसरा नम्बर 1372 रकबा 0.7124 हेक्टर, खसरा नं. 827/2 रकबा 0.1776 हेक्टर, खसरा नं 828/1 रकबा 0.2698 हेक्टर खसरा नं. 908 रकबा 0.0422 हेक्टर खसरा नं. 910 रकबा 0.0632 हेक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 1.3158 हेक्टर व खातेदार प्रभुलाल पुत्र देवीलाल हिस्सा 1/2, दमोदर पुत्र प्रेम राजेश पुत्र प्रेम कलाबाई पत्नि स्व० प्रेम निर्मला पुत्री प्रेम रामप्यारी पुत्री प्रेम जातियान माली, निवासीगण चांचोडी दरवाजा छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज० को खसरा नम्बर 1372 रकबा 1.4248 हेक्टर, खसरा नं 827 रकबा 0.3535 हेक्टर, खसरा नं. 828 रकबा 0.5396 हेक्टर खसरा नं. 908 रकबा 0.0843 हेक्टर, खसरा नं 910 रकबा 0.1265 हेक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 2.6299 हेक्टर उपरोक्त अनुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है। उक्त निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.06.2024 की अप्रसन्नता से यह अपील माननीय न्यायालय मे पेश की जा रही है। रेस्पो० क्रम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त उनवान प्रकरण पेश करने पर अपीलान्ट द्वारा बाद तलबी दिनांक 22.05.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा पेश कर विवादित आराजी के बंटवारे हेतु हिस्से अनुरूप अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन की स्वीकृति प्रदान करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिनांक 22.05.2024 को निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री पारित कर तहसीलदार छबडा को अपीलान्ट व रेस्पो० क्रम 1 के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु आदेशित किया था परन्तु तहसीलदार छबडा रेस्पो० कम 2 ने विवादित आराजी के मौके पर जाये बिना तथा बिना पक्षकारान की मौजूदगी मे उक्त आदेश के विपरीत विवादित आराजी का बंटवारा पक्षकारान के मध्य कर दिया जो कानूनन गलत हैं तथा उक्त विभाजन में तहसीलदार छबडा रेस्पो० कम 2 से रेस्पो० कम 1 ने मिली भगत कर रेस्पो० कम 1 को विवादित आराजी के विभाजन मे प्राप्त भूमियों का आगे का भाग जो रोड व रास्ते की और है तथा अपीलान्ट को प्राप्त भूमियों से ज्यादा कीमती है को नक्शा ट्रेस में अधिक चौडाई में प्रदान कर वाद के पक्षकारान के मध्य त्रुटी पूर्ण विभाजन कर देने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व अन्तिम डिक्री निरस्तनीय है। पटवार हल्का छबडा द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 10.06.2024 विवादित आराजियात की मौका स्थिति देखे बिना तैयार कर एवं तहसीलदार छबडा से हस्ताक्षर करवाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसे पटवार हल्का छबडा द्वारा तहसीलदार छबडा रेस्पो० कम 2 को पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है जिससे जाहिर है कि तहसीलदार छबडा द्वारा विवादित आराजी के मौके पर जाये बिना एवं रेस्पो० कम 1 को फायदा पहुंचाने के आशय से रोड की और रेस्पो० कम 1 को अधिक भूमि प्रदान करते हुये लाइन खीचते हुये बंटवारा कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध किये गये बंटवारा प्रस्ताव में अंकित नक्शा ट्रेस के विभाजन से प्रमाणित है। जिसके कारण मौके पर पक्षकारान अपीलान्ट व रेस्पो० कम 1 के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय दिनांक 22.05.2024 जारी कर तहसीलदार छबडा को बंटवारा प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था जिसके अनुसार तहसीलदार छबडा रेस्पो० कम 2 को नियमानुसार विवादित आराजी के मौके पर उपस्थित होकर वाद में वाद के समस्त पक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर उनके हस्ताक्षर करवाकर राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की अनुपालना कर नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से लाईनों को खेच कर पक्षकारान को प्राप्त विभाजित आराजी को दर्शाना चाहिये था जो कानूनन मेनडेटी प्रोवीजन है तथा वाद के पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्डस द्वारा विभाजन करना चाहिये था जो विन्भिन न्यायिक निर्णयों से भी प्रमाणित हैं। इसके बावजूद भी विवादित आराजियात का बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्ट को सूचित किये बिना एवं मौके पर उपस्थित हुये बिना पटवार हल्का छबडा के पटवारी की रिपोर्ट पर तहसीलदार छबडा रेस्पो० कम 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में पेश कर दिया है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका व अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव दिनाक 10.06.2024 पर पक्षकारान के हसताक्षर नहीं होने से भी प्रमाणित है। जिनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 10.06.2024 पारित की है जो खिलाफ कानून होने से काबिल खारजा है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अपील अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट विरूद्ध अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 10.06.2024 बउनवान मुकदमा बजरगां उर्फ बजरगंलाल बनाम प्रभुलाल वगैराह दावा धारा 53 व 188 आर० टी० एक्ट वाद सख्या 112/2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा, जिला बांरा, राज० को निरस्त फरमाया जाकर उक्त प्रकरण को रिमाण्ड फरमाने के आदेश प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश प्रदान करे कि पुनः बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार छबडा से वाद के पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी सहमति से विवादित आराजी के मौके पर जाकर मंगवाया जाकर पुनः निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। बहस के दौरान कथन किया कि प्रारम्भिक डिक्री राजीनामे के आधार पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा चाहा गया है। दिनांक 10.06.2024 का बंटवारा प्रस्ताव पटवारी द्वारा तहसीलदार को प्रेषित किया गया है। तहसीलदार मौके पर नहीं गये तथा बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है। राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। जिस दिन फाइनल डिक्री जारी की गई उस दिन की आदेशिका पर भी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाये। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2018-19 (सप्ली.) पेज 410, आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 258, आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 219, आर.आर.टी. 2022 (2) पेज 988, आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 1318, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689, आर.आर.टी. 2024 (2) पेज 964 की नजीरे उद्धरत की। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि हमने हमारा हिस्सा बेचा है। बंटवारा पूर्ण नहीं हुआ है, मौके पर दखल नहीं दिया है। सम्पूर्ण आराजी नहीं बेची है। अन्य खसरा नम्बर की भी आराजी है। विवादित आराजी का 1/3, 1/3 के रूप में बंटवारा होना है। प्रारम्भिक डिक्री में भी 1/3 हिस्सा ही माना है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने कथन किया कि तथ्यों को छुपाकर अपील पेश की है। दिनांक 10.06.2024 को फाइनल डिक्री जारी हुई है। दिनांक 11.06.2024 को अपीलांट ने अपना हिस्सा 1/3 बेचान कर दिया उसका क्रेता के पक्ष

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में दिनांक 07.06.2025 को मंगेश पुत्र राजेन्द्र कुमार के पक्ष में इंतकाल खुल गया। बेचान कर के वादग्रस्त आराजी का कब्जा संभला दिया है। विवादित आराजी खसरा नं. 827/2 रकबा 0.5811 हेक्टर व खसरा नं. 828/1 रकबा 0.8094 हेक्टर में वर्तमान में अपीलांट का कोई हक नहीं है। अपीलांट ने केता को पक्षकार नहीं बनाया है। खातेदार नहीं है वर्तमान में ऐसी स्थिति में अब अपील करके बंटवारा कैसे करवा सकते हैं। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा होना था क्योंकि बजरंगा का 1/2 हिस्सा है। दावा भी 1/2 हिस्से का ही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् पेश कर कथन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 6 के संयुक्त खाते की आराजी कस्बा छबडा में खसरा नं. 1372 की रकबा 2.1372 हैक्टर खसरा नं. 827/2 की रकबा 0.5311 हेक्टर, खसरा नं. 828/1 की रकबा 0.8094 हैक्टर, खसरा नं. 904 की रकबा 0.1518 हैक्टर, खसरा नं. 908 की रकबा 0.1265 हैक्टर, खसरा नं. 910 रकबा 0.1897 हैक्टर कुल किता 6 की कुल रकबा 3.9457 हैक्टर कस्बा छबडा में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 6 का उक्त खाता संयुक्त होने के कारण एवं नक्शे लठे में बंटवारा नहीं होने के कारण आये दिन मेडों को लेकर वाद विवाद होता रहता है एवं प्रतिवादी कम 1 ता 6 नाजायज रूप से वादी की पैतृक आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। अतः उक्त वर्णित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 6 के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन कर जमाबंदी व नक्शा लठ्ठा में तरमीम कर पृथक से बतौर खातेदार कृषक दर्ज किया जावे। प्रतिवादी कम 1 ता 6 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि वह वादी के कब्जे काश्त एवं शामलाती खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार का व्यवधान व दखल अंदाजी उत्पन नहीं करे तथा वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी को रहन, दान, बेचान नहीं करे, वादी को शांति पूर्वक काश्त करने देवे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 22.05.2024 से वादी का वाद स्वीकार करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया कि ग्राम छबडा की कुल किता 6 कुल रकबा 3.9457 हेक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि रास्ता कायम करते हुए पृथक-पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित करते हुए प्राथमिक डिकी जारी की है। तत्पश्चात

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तहसीलदार छबडा द्वारा अपने पत्रांक 49 दिनांक 10.06.2024 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया। विभाजन प्रस्ताव पर पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार छबडा के हस्ताक्षर है। तहसीलदार छबडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2024 से अप्रसन्न होकर अपीलांटगण प्रतिवादी कम 1 लगायत 6 द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार छबडा द्वारा विवादित आराजी के मौके पर जाये बिना तथा बिना पक्षकारान की मौजूदगी में उक्त आदेश के विपरीत विवादित आराजी पर बंटवारा पक्षकारान के मध्य कर दिया जो कानूनन गलत है। तहसीलदार छबडा ने रेस्पोंडेंट कम 1 को विवादित आराजी के विभाजन में प्राप्त भूमियों का आगे का भाग जो रोड व रास्ते की ओर है, तथा अपीलांट को प्राप्त भूमियों से ज्यादा कीमती है को नक्शा ट्रेस में अधिक चौडाई का प्रदान कर वाद के पक्षकारान के मध्य त्रुटिपूर्ण विभाजन किया है। अतः उक्त प्रकरण को रिमाण्ड फरमाने के आदेश प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश प्रदान करे की पुनः बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार छबडा से पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी सहमति से विवादित आराजी के मौके पर जाकर मंगवाया जाकर पुनः निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 ग्राम छबडा, तहसील छबडा के अनुसार खसरा नं. 1372, 827/2, 828/1, 904, 908, 910 कुल किता 6 रकबा 3.9457 हेक्टर आराजी वादी रेस्पोडेंट एवं प्रतिवादीगण अपीलांट के सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव पटवारी व आई.एल.आर. द्वारा तैयार कर तहसीलदार छबडा को प्रेषित किया गया है, जिस पर तहसीलदार ने प्रतिहस्ताक्षर किये है। इससे यह स्पष्ट है कि तहसीलदार छबडा द्वारा स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। पटवारी एवं आई. एल. आर. द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार छबडा ने अपने पत्र दिनांक 10.06.2024 से उपखण्ड अधिकारी, छबडा को प्रेषित किया और अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर उसी दिन दिनांक 10.06.2024 को निर्णय पारित करते हुए अंतिम डिक्री जारी की है। इससे भी यही स्पष्ट होता है कि बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट को सुनवाई एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने में तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अवहेलना करने के कारण एवं बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रदान नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 10.06.2024 विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार छबडा को स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व नियम 18 एवं 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर प्राप्त करें तत्पश्चात पक्षकारान को प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.08.2025 को उपस्थित होवे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/07/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा